प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांकः 31 जनवरी, 2018

विषयः "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" के बिन्दु 5.1.1 "ब्याज उपादान" के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1133/78-1-2017-25/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टॉर्ट-अप नीति-2016" को अवक्रमित करती है।

2- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" के प्रस्तर संख्या 5.1.1 "ब्याज उपादान" में निम्नवत् व्यवस्था की गई हैः-

5.1.1 ब्याज उपादान

- अनुसूचित बैंकों (Scheduled Banks)/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर अदा किये गये ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू 1.00 करोड़ होगी।

3- उपरोक्त हेतु पात्र इकाइयों को ब्याज उपादान की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगीः-

3.1 ब्याज उपादान का विवरण

3.1.1 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी इकाईयां जिनके द्वारा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर सावधि ऋण अथवा/एवं कार्यशील पूंजी हेतु ऋण की धनराशि वित्तीय संस्थान/बैंक से प्राप्त कर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों तथा व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि से 07 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज उपादान अनुमन्य होगा।

3.1.2 इकाई द्वारा अनुसूचित बैंक/वित्तीय संस्था को अदा किये गये ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष तक उपादान की धनराशि सीमित होगी तथा इसकी सीमा रू 1 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति इकाई होगी।

उदाहरणार्थ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग क्षेत्र की किसी इकाई द्वारा 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर किसी बैंक से रू 10 करोड़ का सावधि ऋण लिये जाने हेतु एक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुबन्ध किया जाता है। इस धनराशि पर ब्याज राशि रू 70 लाख प्रति वर्ष होती है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 के अनुसार व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि में इकाई रू 50 लाख प्रतिवर्ष का ब्याज उपादान प्राप्त करने की पात्र होगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 7 वर्ष तक रू 50 लाख (अथवा वास्तविक 5 प्रतिशत ब्याज) की धनराशि इकाई को उपादान स्वरूप भुगतान की जायेगी तथा शेष रू 20 लाख प्रतिवर्ष की ब्याज धनराशि का दायित्व स्वयं इकाई का रहेगा। तत्पश्चात शेष वर्षों में ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि रू 70 लाख (अथवा वास्तविक दर से आगणित ब्याज राशि) इकाई द्वारा भुगतान की जायेगी।

3.1.3 <u>उपादान की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार से होगीः-</u>

3.1.3.1 इकाई द्वारा भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम होने की दशा में वास्तविक ब्याज दर के समतुल्य धनराशि।

3.1.3.2 इकाई द्वारा भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा इससे अधिक होने की दशा में 5 प्रतिशत ब्याज दर के समतुल्य धनराशि।

3.1.3.3 प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि की सीमा रू 1.00 करोड़ प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी।

3.1.4 ब्याज उपादान केवल अनुसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रभारित ब्याज पर अनुमन्य होगा। कोई दण्ड ब्याज अथवा अन्य शु क इस प्रोत्साहन के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होगा।

3.1.5 ब्याज उपादान 7 वर्ष अथवा ऋण भुगतान की अवधि, जो भी पहले समाप्त हो, के लिए प्रदान किया जायेग।

3.1.6 यदि बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा इकाई को 'डिफाल्टर' घोषित किया जाता है तो डिफाल्ट की पश्चातवर्ती अवधि हेतु इकाई को ब्याज उपादान प्रदान नहीं किया जायेगा।

3.1.7 व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने के उपरान्त, निर्दिष्ट अवधि जिसके लिए ब्याज उपादान की मांग की जाती है, यदि किन्हीं कारणवश, उक्त अवधि में 6 माह से अधिक अवधि हेतु इकाई का परिचालन बन्द रहा हो तो उस दशा में ब्याज उपादान की धनराशि उक्त अवधि के लिये अनुमन्य नहीं होगी।

3.1.8 इस योजना का लाभ उन्हीं : काइयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत लिये गये ऋण पर किसी प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।

3.1.9 जिन इकाइयों को केस-टू-केस आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृत किया जायेगा, उन्हें ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगी।

3.2 <u>ब्याज उपादान की स्वीकृति एवं उसके वितरण की प्रक्रिया</u>

3.2.1 इकाई द्वारा ब्याज उपादान की प्राप्ति हेतु अर्द्धवार्षिक आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष अप्रैल से सितम्बर की अवधि हेतु अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर तथा अक्तूबर से मार्च की अवधि हेतु अन्तिम तिथि 30 जून होगी।

3.2.2 आवेदक इकाई द्वारा अनुल ग्नक-अ पर आवरण पत्र सहित, निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-ब) पर प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को इकाई द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

3.2.3 कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये संलग्न दस्तावेजों का सम्बन्धित विभागों एवं वित्तीय संस्थाओं इत्यादि से सत्यापन कराया जायेगा। सम्बन्धित विभाग एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा सत्यापन का कार्य कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा।

3.2.4 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को ब्याज उपादान अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

3.2.5 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त इकाई को ब्याज उपादान धनराशि की प्रतिपूर्ति विषयक आदेश निर्गत किया जायेगा। इकाई को स्वीकृत धनराशि एवं तत्सम्बन्धी नियमों एवँ शर्तों से अवगत कराया जायेगा। तत्पश्चात कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा इकाई को ब्याज उपादान की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3.2.6 प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने की दशा में अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए इकाई को दो सप्ताह में लिखित रूप से सूचित कर दिया जायेगा।

3.3 <u>आच्छादन</u>
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

3.4 <u>परिभाषायें</u>
एतद्द्वारा संलग्न, अनुलग्नक-स के अनुसार

3.5 <u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार</u>
किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

3.6 <u>व्यय भार</u>
ब्याज उपादान तथा औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान के भुगतान में आने वाले सभी व्यय जिसमें आवश्यकतानुसार विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सालिस्टर शुल्क व अन्य आनुसंगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई के द्वारा देय होगा।

3.7 <u>ब्याज उपादान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड</u>

इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर छूट/प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

4- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017 में निहित व्यवस्थानुसार, किसी भी इकाई को समस्त स्रोतों से अनुमन्य होने वाला वित्तीय प्रोत्साहन, उस इकाई के स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- आईटी एवं इलेक्ट्रानिकस अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1135/78-1-2016-25/2012टीसी-9 दिनांक 06 सितम्बर 2016 को एतद्द्वारा अवक्रमित किया जाता है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 113(1)/78-1-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2 प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
4 अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5 औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन
6 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
7 आयुक्त एवं निदेशक, उद्यो ा उत्तर प्रदेश।
8 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
9 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।
10 गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरी राम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली ज.ो किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।